24/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादीगण की तामील अदम पायी। समन तलबाना पेश करे व तलबी जरिये रजि० डाक से जारी करें हो। पत्रावली वास्ते दिनांक 14/6/24 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (प्र. श्रे.)
नवलगढ़

14/6/24 पत्रावली पेश हुई मूल वाद में अप्रार्थी क्र. 01 की ओर से वकालतनामा पेश हो चुका है। 2 व 3 की तामील हो चुकी है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/6/24 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (प्र. श्रे.)
नवलगढ़

18/6/24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उप०। अप्रार्थी क्र. 01 की ओर की ओर से इजहारिया जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्र. 2 व 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/6/24 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (प्र. श्रे.)
नवलगढ़
18/6/24

28/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। बहस सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नं० 328 रकबा 0.61 हे० चारण की ढाणी वर्तमान में मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज है जबकि इसके पुराने खसरा नं० 4398 थे तथा 4398 पुराने खसरा नं० 3315, 3316 से बना है उक्त दोनों खसरा नं० 3315 व 3316 जमाबन्दी संवत 2021-24 तथा जमाबंदी संवत 2025-2028 तथा खतौनी बन्दोबस्त 2017-2031 में गणपत पुत्र ज्वाला के नाम खातेदारी दर्ज रही है। गणपत फौत होने पर उक्त भूमि पर मोहन पुत्र छोटू जो गणपत की सेवा करता था

P.T.O.

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
काबिज होगया। मोहन के दो पुत्र प्रार्थी व सुगनाराम मोहन के फौत होने पर उक्त भूमि को काश्त करने लगे। सुगनाराम ने अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 01 को दे दिया। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं.-1 उक्त भूमि पर काबिज है लेकिन सन् 1979-80 के दौरान नयी पैमाइश में उक्त भूमि को मन्दिर के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि मंदिर मूर्ति का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। अतः अब गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थी सं. 2व3 प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए उन्हें प्रार्थी को बेदखल नही करने हेतु पाबन्द करे व मौके की यथास्थिति बाबत आदेश जारी करे। -	
वकील अप्रार्थी सं. 01 ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।	
बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली व वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2021-24, 2025-28 तथा खतौनी बन्दोबस्त 2012-13 से भूमि पर गणपत पुत्र ज्वाला की कब्जाकाश्त व खातेदारी होना साबित है। प्रार्थी गणपत के कानूनी वारिस की हैसियत से काश्त की भूमि पर मोहन के वारिस की हैसियत से काबिज है। उक्त भूमि रिकॉर्ड में वर्तमान में गलत तरीके से मन्दिर के नाम दर्ज होने का वकील प्रार्थी का कथन मूल वाद में तय किया जाना है। लेकिन प्रथम दृष्टया प्राचीन जमाबन्दी व दस्तावेजो से प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अगर प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किया	

P.T.O. [signature]

आदेश	कार्यवाही विवरण

जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नं. 328 रकबा 0.61 है० (रास्ते की भूमि 0.03 है० को छोड़कर) वाले पारण की दाणी के मौका की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28/06/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 28/06/25

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़